

## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक मार्च 15, 2023\*

!!□ आज दिनांक 15.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज श्री डॉ० कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

\*1.\* "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

\*2.\* महाराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई।

\*3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 112 वाहनों का चालान किया गया।

\*4.\* पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी। तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

\*5. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 51 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 100 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

\*6. पैदल गश्त अभियान-\*

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। तथा नियम विरुद्ध कार्य करने वाले 18 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस अधिनियम व 10 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 110 जी०जा०फौ० में की गयी कार्यवाही।

\*7. अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\*

\*थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*

1. अभियुक्त राजकुमार पुत्र छब्बू निवासी जयप्रकाश नगर वार्ड नं० 7 नगर पालिका परिषद थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से एक जरिकैन में 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 56/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

2. अभियुक्त सुदामा पुत्र आसमन साहनी निवासी मोहनापुर थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से एक जरिकैन में 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 57/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

\*08. NDPS अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\*

\*थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*

अभियुक्त मुन्ना तिवारी पुत्र राजकुमार तिवारी निवासी ग्राम सिपवा वार्ड नं० 01 कोटही माई गांव पालिका जिला रुपनदेही नेपाल राष्ट्र हाल पता विवेकानन्द स्कूल मधुबन नगर वार्ड नं० 08 पाना देवी के किराये का मकान कस्बा व थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 75/23 धारा 8/20/23 NDPS अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

\*9. गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\*

\*थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*

अभियुक्तगण 1. अनिल शर्मा पुत्र विनोद शर्मा, 2. टिकोरी पुत्र शोहरत निवासीगण हथियहवा टोला मैनीयहवा थाना नौतनवां, 3. रामचन्द्र यादव पुत्र काशी यादव, 04. पशुपति यादव पुत्र राममिलन यादव, 5. काशी पुत्र अयोध्या निवासीगण करमहवा थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-निल/23 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

**\*10. गैंगेस्टर अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्तगण 1 सलमान पुत्र रिजवान निवासी जद्दू पिपरा थाना भिटौली जनपद महाराजगंज, 2. हेसामुद्दीन खान उर्फ खबरीलाल पुत्र बजाहत अली निवासी डेरवा थाना भिटौली जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 89/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

**\*11. कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त रामअशीष यादव पुत्र विंध्याचंल यादव निवासी गणेशपुर थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 12 बोरी यूरिया खाद व दो अदद मोटर साइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/23 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

**\*12. विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 10 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

**\*13.\*** जनपद में 14/15.03.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 54 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*14.आदेश-\*** महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा।